ज़िला निर्वाचन कार्यालय 06272–245412
Email ID - dyeo.dbg-bih@nic.in

समाहरणालय दरभंगा
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
(दरभंगा नगर निगम आम निर्वाचन–2017)

आवास – 06272 – 240300
कार्यालय – 06272 – 240200
फैक्स न0 – 06272–240400
Email ID - dm-darbhanga.bih@nic.in

–:आदेश:–

नगर निगम आम निर्वाचन 2017 के लिए सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1557 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा नगर निगम आम निर्वाचन 2017 के लिए चुनाव कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। यह मतदान ई0वी0एम0 के द्वारा होना है। मतदान की तिथि दिनांक 21.05.2017 को निर्धारित है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1707 दिनांक 19.04.2017 के आलोक में ई0वी0एम0 हेतु 05 (पॉच) मतपत्र प्रति मतदान केन्द्र की दर से एवं निविदत्त मतपत्र हेतु प्रति मतदान केन्द्र 20 (बीस) मतपत्र की दर से मुद्रित किया जाना है। इसके अलावे दस प्रतिशत सुरक्षित मतपत्र अतिरिक्त रूप से मुद्रित किये जाने है। मतपत्र मुद्रण सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र की कंडिका 2 के अनुसार निम्नप्रकार किया जाना है:–

(क) मतपत्र की कुल लम्बाई 461.5 MM एवं चौड़ाई 140 MM होगी।

(ख) मतपत्र की उपरी खाली जगह में निर्वाचन का विवरण अंकित किया जायेगा यथा क्षेत्र का नाम एवं पद का नाम। उपरोक्त खाली जगह की लम्बाई एवं चौड़ाई क्रमशः 7.5 MM X 140 MM होगी।

(ग) मतपत्र के बाएँ शीर्ष भाग में मतपत्र की क्रम संख्या मुद्रित की जायेगी। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होती है, तब वैसी स्थिति में मतपत्र के दाएँ भग में शीट (Sheet) संख्या दर्शाया जायेगा।

(घ) निर्वाचन के विवरण के ठीक नीचे गहरी काली रेखा (Thick Black Line) होगी, जो 1 MM मोटाई की होगी।

(ड) इस रेखा (Line) के नीचे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की क्रम संख्या उसका नाम तथा आवंटित प्रतीक अलग–अलग पैनलों में मुद्रित किये जायेंगें। मतपत्र में क्रम संख्या, अभ्यर्थियों का नाम एवं प्रतीक चिंह लम्बवत रेखा द्वारा विभाजित होगी, जैसा कि नमूना में दर्शाया गया है। (मतपत्र का एक नमूना की छायाप्रति संलग्न है।)

(च) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रत्येक पैनल का साईज 27.5 MM (लम्बाई) X 140 MM (चौड़ाई) होगी।

(छ) अभ्यर्थिवार बने पैनल गहरी काली रेखा (Thick Black Line) से विभाजित रहेंगें, जो 1 (एक) MM मोटी होगी।

(ज) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र – 14 (ख) की सूची के अनुसार क्रमानुसार होगा।

(झ) प्रत्येक मतपत्र की शीट पर निर्वाचन का विवरण तथा शीट नम्बर बोल्ड लेटर में मुद्रित किये जायेंगें। अभ्यर्थियों की कम संख्या (International form of India Numeral–1,2,3,4,5) में मुद्रित होगें।

(ञ) अभ्यर्थियों की कम संख्या एवं नाम बायें तरफ एवं आवंटित प्रतीक पैनल के दायें साईड में रहेंगें।

(त) मतपत्र उजले कागज (White cream wove) पर काले (Black) रंग से मुद्रित किये जायेंगें।

सावधानियॉं – (क) The ballot papers shall be printed in such a way that after fixing the ballot paper on the balloting unit in space provided for the purpose, dividing line drawn below the space in which the particulars of election are printed and the dividing lines below the panel of each candidate shall be in complete alignment with the corresponding groves or lines engraved on the balloting unit. utmost care will, therefore, have to be taken while printing the ballot papers and to ensure that the ballot paper have been correctly printed, the balloting should be shown to the technicians of the printing press. They may be asked to take the exact measurements of the space meant for printing the particulars of election and the panel of candidates and the thickness of the dividing lines so that the ballot papers ate printed in exact alignment.

(ख) It is not necessary to get the ballot papers which are to be fixed on the balloting units, stitched into bundles.

निविदत्त मतपत्र (Tender Ballot Paper) का आकार और विशिष्टियॉं वही होगी जो ई0वी0एम0 के बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होनेवाले मतपत्र का होगा। लेकिन निविदत्त मतपत्र के पृष्ट भाग (Back Side) पर " **निविदत्त मतपत्र**" की मोहर लगाई जायेगी एवं मात्र इसी प्रयोजन से इसका उपयोग किया जायेगा। साथ ही यह भी अतिसूक्ष्मता से ध्यान रखने की व्यवस्था की जाए कि किसी भी परिस्थिति में Symbol और Candidates Name में कोई भी गलती नहीं रह पायें, अन्यथा पुनर्मतदान की आवश्यकता हो जायेगी, जिसमें व्यर्थ में यही Costly exercise दुबारा दोहरानी पड़ेगी। दरभंगा नगर निगम 2017 में दरभंगा जिला के निम्नलिखित पदों का निर्वाचन होना हैं जिसके लिए मतदपत्रा का व्यायादेश निम्नवत् हैः–

दरभंगा नगर निगम के चुनाव 2017 के लिये वार्डवार मतपत्र की आवश्यकता।

वार्ड सख्या	वार्ड में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	प्रति मतदान केन्द्र मतपत्र की आवश्यकता	वार्ड के लिये मतपत्र की आवश्यकता
01	05	28	28X5=140
02	05	28	28X5=140
03	06	28	28X6=168
04	05	28	28X5=140

05	04	28	28X4=112
06	04	28	28X4=112
07	05	28	28X5=140
08	05	28	28X5=140
09	04	28	28X4=112
10	04	28	28X4=112
11	05	28	28X5=140
12	06	28	28X6=168
13	04	28	28X4=112
14	06	28	28X6=168
15	04	28	28X4=112
16	04	28	28X4=112
17	07	28	28X7=196
18	04	28	28X4=112
19	02	28	28X2=56
20	05	28	28X5=140
21	05	28	28X5=140
22	05	28	28X5=140
23	04	28	28X4=112
24	04	28	28X4=112
25	03	28	28X3=84
26	04	28	28X4=112
27	04	28	28X4=112
28	06	28	28X6=168
29	04	28	28X4=112
30	04	28	28X4=112
31	05	28	28X5=140
32	03	28	28X3=84
33	04	28	28X4=112
34	05	28	28X5=140
35	04	28	28X4=112
36	06	28	28X6=168
37	03	28	28X3=84
38	03	28	28X3=84

39	05	28	28X5=140
40	06	28	28X6=168
41	03	28	28X3=84
42	05	28	28X5=140
43	05	28	28X5=140
44	05	28	28X5=140
45	04	28	28X4=112
46	04	28	28X4=112
47	03	निर्विरोध होने के कारण	शून्य
48	06	28	28X6=168

मतपत्र मुद्रण हेतु दरभंगा ऑफसेट प्रिंटर्स, धरमपुर, दोनार, दरभंगा को चयनित किया गया है। मतपत्र का मुद्रण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराया जाना है।

मतपत्र मुद्रण कराने हेतु **मो0 वसीम, अल्प संख्यक कल्याण पदाधिकार, दरभंगा** की प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी के रूप में की जाती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपनी उपस्थिति में कड़ी सुरक्षा व्ययस्था के तहत् मतपत्र का मुद्रण करवाना सुनिश्चित करेगें, तथा दिनांक 08.05.2017 तक मतपत्र का मुद्रण कराकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत् सुरक्षित रूप से मतपत्र को जिला कोषांगार दरभंगा तक लायेगे जहाँ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उसे कोषागार में रखा जायेगा।

निर्वाची पदाधिकारी, प्रत्येक वार्ड के प्रपत्र 14 (ख) के साथ अपने सहायक निर्वाची पदाधिकारी को उक्त प्रेस के लिए दिनांक 03.05.2017 के अपराह्न को प्रतिनियुक्ति करेगें। प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र–14 (ख) के आधार पर प्रेस में उपस्थित रहकर मतपत्र का शुद्ध–शुद्ध मुद्रण करायेंगें तथा मतपत्र के अंतिम मुद्रण से पूर्व उसका प्रुफ रिडिंग भी करेगें। प्रुफ रिडिंग पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगें। मतपत्र का मुद्रण उपरोक्त व्यायादेश के अनुरूप कराया जायेगा।

व्यादेश के अनुरूप संख्या में मतपत्र की प्राप्ति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की सुरक्षा में बज्रगृह तक लाया जायेगा।

मतपत्र का मुद्रण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत होना है इसलिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ 1/4 का सशस्त्र बल की प्रतिनियक्ति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेगें।

मतपत्र दरभंगा ऑफसेट प्रिंटर्स, धरमपुर, दोनार, दरभंगा से लाने हेतु नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग नगर निगम निर्वाचन–2017 दरभंगा एक हल्की वाहन ईधन सहित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

चुकी प्रपत्र का मुद्रण एक संवेदनशील कार्य है। अतः इसे सुरक्षित मुद्रित कराने हेतु संबंधित प्रेस दिनांक 03.05.2017 से 08.05.2017 तक अधिग्रहित रहेंगी। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा इस हेतु 1/4 का सुरक्षा बल उक्त अवधि में प्रेस में प्रतिनियुक्त रखेंगे जो प्रेस को सुरक्षित अपने घेरे में रखेंगे ताकि मतपत्र मुद्रण के समय कोई अवांधित व्यक्ति प्रेस में प्रवेश नहीं कर सके।

अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा इस बल के साथ एक दण्डाधिकारी को प्रेस में प्रतिनियुक्त करेंगे जो मतपत्र मुद्रण अवधि में वहा प्रतिनियुक्त हो कर मतपत्र मुद्रण की गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे। मतपत्र का विखंडीकरण तथा ई0वी0एम0 का सिलिंग संबंधित कोषांग के द्वारा ससमय की जायेगी

आदेश की प्रति सभी संबंधित को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
नगरपालिका
–सह–
जिला पदाधिकारी दरभंगा।

ज्ञापांक 562/जि0निर्वा0 दिनांक 29 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपिः– मो0 वसीम, अल्प संख्यक कल्याण पदाधिकार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मेसर्स दरभंगा ऑफसेट प्रिंटर्स, धरमपुर, दोनार, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त मतपत्र व्यायादेश के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण पूर्व चुनाव के तरह कर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को दिनांक 08.05.2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई0वी0एम0 कोषांग (नगर निगम) दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग (नगर निगम) दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी निर्वाची पदाधिकारी (नगर निगम) दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि मतपत्र के विशिष्टियों से संबंधित अद्यतन निदेश निर्वाची पदाधिकारी एवं मेसर्स दरभंगा ऑफसेट प्रिंटर्स, धरमपुर, दोनार, दरभंगा को उपलब्ध करा दे ताकि मतपत्र मुद्रण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांगों के पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/04/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
नगरपालिका
–सह–
जिला पदाधिकारी दरभंगा।